

:: आदेश ::

आदेश क्र/स्था-4/अनु.नियु/2020-21/ 737

सक्ती दिनांक10/07-2020

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के परिपत्र क्र/एफ 7-1/2012/1-3/नया रायपुर दिनांक 14-06-2013 के अनुक्रम में दिवंगत शासकीय सेवक के निम्नांकित आश्रित को निर्धारित शर्तों के अधीन नियमित भृत्य/चौकीदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स 01 में 15600.00 प्रतिमाह एवं शासन द्वारा देय महंगाई भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाता है। ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा किसी भी समय बिना सूचना एवं कारण के समाप्त की जा सकती है। सेवा से त्याग पत्र देने पर 1 माह पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	पदांकित संस्था का नाम / विकास खण्ड
1	2	3	4	5
1	श्री प्रकाश कुमार बन्जारे,	स्व.श्री जगदीश प्रसाद बन्जारे,	ग्राम + पोस्ट- सिंघरा विकास खण्ड मालखरौदा जिला जांजगीर-चांपा(छ.ग.)	कार्या.विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मालखरौदा जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

शर्त :-

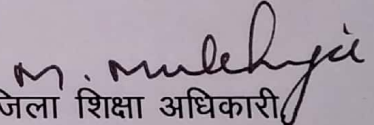
1. अनुकंपा नियुक्ति दिवंगत शासकीय सेवको के आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं अभिलेखों के आधार पर दी जा ही है, इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर ये नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी जारी आदेश तिथि से **पन्द्रह दिवस** के भीतर कार्यभार ग्रहण कर लेवे, अन्यथा संबंधित का आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही कार्यालय प्रमुख वेतन आहरण करेंगे।
3. आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करें, कार्यालय प्रमुख उसकी प्रमाणित प्रति अपने कार्यालयीन अभिलेख में सुरक्षित रखें।
4. आयु के प्रमाणीकरण हेतु हाईस्कूल परीक्षा/पूर्व.माध्य. परीक्षा/प्राथमिक परीक्षा प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/ में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होंगे।
5. संबंधित का पुलिस व्हेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जावे।

(मीता मुखर्जी)
जिला शिक्षा अधिकारी,
सक्ती,

पृष्ठा क्रमांक/स्था-4/अनु.नियु/2020-21/ 738
प्रतिलिपि,

सक्ती दिनांक10/-07-2020

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मालखरौदा, को सूचनार्थ अग्रेषित। संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व नियुक्ति के लिये सभी शर्तों की पुष्टि व्यक्तिगत रूप से कर लेवें। इस पर किसी विसंगति अथवा त्रुटिगत जानकारी पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
6. संबंधित श्री प्रकाश कुमार बन्जारे , पिता स्व.श्री जगदीश प्रसाद बन्जारे, ग्राम + पोस्ट - सिंघरा, विकास खण्ड मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। संबंधित कार्यालय/ संस्था प्रमुख द्वारा जो भी आवश्यक दस्तावेज/शपथपत्र मांगे उसकी प्रमाणित प्रति कार्यालय /संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा दी गयी जानकारी एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी सूचना एवं कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
सक्ती,